

**Form No. III**  
**Qn&vgdke**  
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम गिरधारी वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र (रे.वि.) नं० **052** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र का चित्त मन से शान्ति पूर्वक चिंतन-मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षीगण की खातेदारी आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षीगण को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है किन्तु विपक्षीगण द्वारा मुआवजा राशि के बैंक प्राप्त नहीं किये जाने से तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/ 2024/1458 दिनांक 07.08.2024 से विपक्षीगण के नाम पर जारी अवितरित बैंक इस न्यायालय को प्रेषित किये गये हैं जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 216/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम गिरधारी वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 26.06.2024 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 76,14,890/- अक्षरे छियत्तर लाख चौदह हजार आठ सौ नब्बे रूपये मात्र मुआवजा राशि का बैंक अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त बैंक जो कि अप्रार्थीगण के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावे एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोजिट हेतु नवीन बैंक जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन बैंक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों।</p>	

(आलोक रंजन)  
जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़  
09.10.2024

